27.8.XVIII वादी/प्रार्थी कि उप नहीं आये के परिणामत: मूल वाद पत्रावली अस्वीकृत की गयी है. ऐसी स्थिति में विविध पत्रावली पर विचारण औचित्यपूर्ण नहीं होने के कारण विचाराधीन पत्रावली अस्वीकृत की जाती है. पत्रावली पूर्ववर्ती संचिका के क्रम से सं. कर मिसिल की सूची में शामिल हो.

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.